बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

जून, 2022

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची | पेज नं.

(A)	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम	01
(B)	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण	01—02
(C)	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण	03
(D)	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक	04
(E)	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा	05—07
(F)	बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	08
(G)	एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल	09
(H)	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	09—10
(I)	आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण	10
(J)	कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा	11
(k)	सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	11—12
(L)	दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक	12
(M)	वज्रपात से सुरक्षाः कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा	13
(N)	बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोगः राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन	13
(O)	औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा	14
(P)	**Drowning Risk Profile of Bihar** विषय प्रस्तुतिकरण	14
(Q)	बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022	15
(R)	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	16
(S)	Mass Messaging	17

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम: मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गयाः–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/– की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :–

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   *(**कार्रवाई** – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)*

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   *(**कार्रवाई** –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)*

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्यान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स/*प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।

   (कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

   (कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

   (कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

   (कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

   (कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा

जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पाँडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार है:–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार है:–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा० उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षा: कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अत: इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग: राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैं:–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिर्पोट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों / नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकडा।

क्र०सं०	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढ़ी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। **मई**, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

<u>जनहित में जारी संदेश–</u>

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपायः

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

<u>नाव दूर्घटना से बचने के उपायः–</u>

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समयः–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गया:–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/– की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :–

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   *(**कार्रवाई** – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)*

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   *(**कार्रवाई** –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)*

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्यान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स/*प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।

(कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

(कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

(कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

(कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

(कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पॉंडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैः–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षाः कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अत: इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोगः राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैंः–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिर्पोट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकडा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
कुल योग		20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। **मई, 2022** में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

जनहित में जारी संदेश–

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपाय:

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

नाव दूर्घटना से बचने के उपाय:–

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समय:–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गया:–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/– की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :–

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   *(**कार्रवाई** – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)*

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   *(**कार्रवाई** –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)*

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्याान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स*/प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।

   (कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

   (कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

   (कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

   (कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

   (कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा

जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पाँडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्‌घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैः–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षा: कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अत: इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्ववयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग: राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैः–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिपोंट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकडा।

क्र०सं०	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढ़ी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। मई, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

जनहित में जारी संदेश–

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपाय:

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

नाव दूर्घटना से बचने के उपाय:–

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समय:–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गया:–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/– की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :–

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   (कार्रवाई –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्याान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स/*प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।

   (कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

   (कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

   (कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

   (कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

   (कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा

जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पाँडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैः–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षा: कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अत: इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्ववयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/ पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग: राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैः–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिर्पोट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों / नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकडा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
कुल योग		20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। मई, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

जनहित में जारी संदेश–

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपाय:

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

नाव दूर्घटना से बचने के उपाय:–

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समय:–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गयाः–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/– की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :—

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   (कार्रवाई –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्याान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स*/प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।
(कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

(कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

(कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

(कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

(कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा

जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पाँडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार है:–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार है:–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षाः कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अतः इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्ववयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोगः राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैः–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिर्पोट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों / नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगडिया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
कुल योग		20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। मई, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

<u>जनहित में जारी संदेश–</u>

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपाय:

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

<u>नाव दूर्घटना से बचने के उपाय:–</u>

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समय:–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(A) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(B) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम: मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(C) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (जून 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(D) "जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक में प्रतिभागियों के सलाह के आधार पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गयाः—

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण अस्पताल—पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे के प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव (प्रारूप संलग्न)।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा/दुर्घटना से संबंधित विडियो दिखाई जायेगी एवं इस आधार पर विमर्श किया जायेगा।

1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने—उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर दिखाया जाएगा।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन को इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/— की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी।
6. सड़क सुरक्षा पर पॉकेट डॉयरी बनाई जाएगी।
7. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
8. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7—10 दिन पहले दिया जायेगा।
9. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निमार्ण किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

(E) सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार (कोर्स करेक्सन) के लिए दिनांक 21.06.2022 को बैठक हुई। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने इसके क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकरी दी। यह इस प्रकार है :–

1. वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि यहां छह बैचों में बालकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया है। प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनर के मानदेय भी नहीं दिया गया है। मास्टर ट्रेनर को समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक दिनांक 05 जुलाई 2022 को प्राधिकरण कार्यालय में सम्पन्न किए जाने का निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, वैशाली/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, वैशाली/अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महनार/प्राधिकरण)

2. जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराया जा चुका है वहां के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स के साथ एक बैठक कर आगामी छह माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए।

   (कार्रवाई –अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

3. प्राधिकरण के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। इसलिए Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्यान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों ने पूर्व में उल्लेख किया है कि उनके क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। वे अन्य जिलों में जाकर कार्यक्रम कर सकते हैं। अतः निर्णय लिया गया कि मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाए। प्राधिकरण के द्वारा

उन्हें आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। यह कार्य DDMA की देख–रेख में होगी।

(कार्रवाई – अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर्स/*प्राधिकरण)*

4. पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी स्तर से मास्टर ट्रेनर्स की प्रतिनियुक्ति की समय सारणी के अनुसार आदेश जारी किया जाए, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को भुगतान मिलने में आसानी होगी। मास्टर ट्रेनर को Skilled व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदेय की दर से भुगतान किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिला/संबंधित प्रखण्डों के अंचल अधिकारी)

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण सर्वप्रथम अंचल अधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है। प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण एस0डी0आर0 के सहयोग से भी किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रशिक्षण मॉड्यूल में उल्लेख किया गया है। परंतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। उक्त बातों को उल्लेख करते हुए जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया जाएगा। एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जब तब पर्यवेक्षण किया जायेगा तो उहें इसके लिए मानदेय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा गठित टीम अनुश्रवण के लिए भ्रमण करेगी। टीम के भ्रमण/आने–जाने का प्रबंध प्राधिकरण स्तर से किया जाएगा।

(कार्रवाई –संबंधित अंचल अधिकारी/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/ प्राधिकरण)

6. मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के लिए आना पड़ता है। मास्टर ट्रेनर्स को सुझाव दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों का चयन किया जाए जहां सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण कराया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर्स अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं प्राप्त होने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं।

(कार्रवाई–अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर/अंचल अधिकारी, मनेर)

7. अनुश्रवण के लिए एस0डी0आर0एफ0 की सहायता से कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्राचार्य, NINI के द्वारा Checklist तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर अनुश्रवण किया जाएगा।

(कार्रवाई – कैप्टन सुमन्त सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI/एस0डी0आर0एफ0*)*

8. बालिकाओं के प्रशिक्षण के दौरान जिला प्रशासन/अंचल प्रशासन का यह दायित्व है कि प्रशिक्षण स्थल पर पुलिस बल/एस0डी0आर0एफ0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

(कार्यवाई – जिला पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी)

9. जिला प्रशासन, पटना, एस0डी0आर0एफ0, एन0सी0सी0 एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से पटना में गंगा नदी स्थित अति दुर्घटना प्रवण चिह्नित घाटों पर जन–जागरूकता अभियान (प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण, माइकिंग एवं नुक्कड़ नाटक आदि) चलाए जाने पर सहमति बनी।

(कार्रवाई– प्राधिकरण, जिला पदाधिकारी, पटना, *एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0)*

10. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पटना से अनुरोध किया गया कि मनेर एवं पंडारक प्रखण्डों में प्रशिक्षण के लिए भी प्राधिकरण स्तर से राशि जिले को भेजी जा चुकी है। अतः यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू कराया जाए।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी)

11. उपस्थित मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें सन् 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। ये सामान अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि उन सभी मास्टर प्रशिक्षक को जो लगातार प्रशिक्षण के लिए कार्यरत हैं उन्हें पुनः उक्त सामान दिया जाए। ऐसे मास्टर प्रशिक्षकों की सूची अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

(कार्रवाई – जिला पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं प्राधिकरण)

12. बालक/बालिकाओं/छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(कार्रवाई – अंचल अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या)

13. बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को घाटों पर ले जाने एवं वापस लाने तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग सतत् प्राप्त होता रहे।

(कार्रवाई – प्राधिकरण)

(F) ''बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की 5वीं (दिनांक 25.06.2011) एवं 11वीं (दिनांक 16.11.2017) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा

जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पाँडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्त्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक बिहार पुलिस सेवा के कुल 39 पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार कुल अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(G) एन0सी0सी0 के शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

(H) ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवयश्क है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पाँडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना

तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
		कुल	58

(I) आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से अयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैः–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	304

(J) कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जुन, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

(K) <u>सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण</u>

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(L) दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

(M) वज्रपात से सुरक्षा: कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अत: इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया गया कि जिले में आ.ई.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

(N) बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग: राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 01.06.2022 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के साथ आयोजित बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Centeral Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञ भी देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की जानकारी दी जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।

(O) औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler फटने की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य के औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गयी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी बिन्दुओं पर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख निर्णय इस तरह हैंः–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

(P) Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिर्सच रिर्पोट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पद बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की बच्चों को बिना अभिभावकों के निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित है, जिसमें Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को निदेशानुसार उपाध्यक्ष महोदय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

School of Planning & Architecture, New Delhi को प्रस्ताव

School of Planning & Architecture, New Delhi से प्राप्त अनुरोध पत्र के आधार पर उनके दो विद्यार्थियों को Intern के तौर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के छः सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया गया।

PRA Tools के VDMP के निर्माण विषय पर प्रस्तुतीकरण

5. निदेशानुसार PRA Tools के VDMP के निर्माण में समुचित उपयोग पर बल देने हेतु एक PPT के माध्यम से सभी संबंधित प्रोफेसनल्स के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण दिया। PRA Tool जैसे Hazard Mapping, Social Mapping, Venn Diagram, Transact Walk, Seasonality of Hazards इत्यादि के VDMP में व्यापक उपयोग पर बल दिया गया।

(Q) बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(R) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है:–

माह जून 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकडा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
कुल योग		20	5	25	103	233	336

(S) Mass Messaging

आमलोगों को आपदा की खतरा से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें क्या न करें की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– (**148890**), आशा कार्यकर्ता (**77542**), आगनबाड़ी सेविका (**45946**) एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। मई, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल है।

जून का प्रतिवेदन 10 से 15 **जून** तक प्राप्त होगा।

जनहित में जारी संदेश–

नदियों–तालाबो में डूबने से बचने के उपाय:

1. अपनी और बपने बच्चों को बचाएं जान।
2. नदियों–तालाबों में न धोएं बर्तन–कपड़े एवं न करें स्नान।
3. डूबते हुए की तरफ रस्सी, धोती, साड़ी या बांस फेंके।
4. डूबे हुए व्यक्ति को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं।
5. ऑक्सीजन न मिले तो मुंह से स्वांस दें।
6. पेट में भर गया हो पानी तो पेट के बल लिटाकर दबाव दें जिससे पानी निकल जाये, फिर जल्दी अस्पताल ले जाएं।

नाव दूर्घटना से बचने के उपाय:–

1. जिस नाव पर पंजीकरण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
2. जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
3. किसी भी स्थिति में ओवर लोडेड नाव पर न बैठें।
4. छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
5. जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय के साथ प्राथमिक बॉक्स एवं रस्से आदि ठीक तरीके से रखें हों उसी नाव से यात्रा करें। आसमान में बिजली चमकने/गरजने/ कड़कने के समय:–

1. यदि आप खुले में हों तो शीघ्रताशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
2. जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टीक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
3. ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों।
4. बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
5. समूह में न रहें।
6. रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।